न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
10/22	एफएसएसए एक्ट, 2006	15/09/2022

1. पदम सिंह परमार,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर
—आवेदक

बनाम

1. राकेश सैनी पुत्र श्री श्रीचंद सैनी उम्र 27 वर्ष जाति माली निवासी कैलादेवी मंदिर के पीछे, कैलादेवी कॉलोनी सालोदा गंगापुर सिटी फर्म – गायत्री डेयरी प्रोडक्ट, सालोदा मोड़ चौराहा, गंगापुर सिटी।
2. भीमराव सैनी पुत्र श्रीचंद माली (मालिक) फर्म– गायत्री डेयरी प्रोडक्ट, सालोदा मोड़ चौराहा, गंगापुर सिटी।
—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएसए एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 28.10.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र जैन द्वारा दिनांक 26/10/2021 को मैसर्स गायत्री डेयरी प्रोडक्ट ,सालोदा मोड़ गंगापुर सिटी का निरीक्षण किया। वहां निरीक्षण के दौरान पाया कि लगभग 5 किलोग्राम पनीर एक स्टील की ट्रे में बिकी हेतु रखा हुआ था को देखने पर मिलावटी प्रतीत होने पर उक्त पनीर का नमूना वास्ते जांच देने हेतु विकेता से कहां और फार्म नं0 5 ए मौके पर भरकर एक प्रति पर हस्ताक्षर किये जो कि फार्म 5ए मूल पत्रावली में संलग्न है।

श्री प्रेमचन्द्र के अनुसार विकेता की उक्त 5 किलोग्राम पनीर में से 1 किलोग्राम पनीर खरीदी जिसकी किमत विकेता के अनुसार 270/– रू0 नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द्र जैन ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पनीर को विकेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सुखी काच की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर को प्रत्येक बोतल मे बराबर–बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल मे परीरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूंदें डालकर बोतलों के ढक्कन लगाकर एकदम ऐयरटाईट बंद किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक एच–2125 दर्ज किया तथा नियमानुसार नमूने की कार्यवाही पूर्ण की तत्पश्चात् आवेदक द्वारा कार्यालय मे पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म स0 6 की प्रति के खाकी कागज मे लेपटकर कागज के कोनो को गोद से चिपकाकर चारों और से मजबूत धागे से बांधकर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को श्री कैलाश सैन ड्राईवर के द्वारा जमाकराकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली मे संलग्न है। 2 प्रति फार्म नं0 6 को अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेशक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमाक/एफएसएसए/2021/2524 दिनांक 25.11.2021 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट सख्या एलएस/1524/एक्ट/2021/1447 दिनांक 12.11.2021 का अध्ययन करने पर यह नमूना अवमानक एवं Food Containing extraneous matter प्रकृति का पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.08.21 18:00:03 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकरण मे खाद्य विषलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट सख्या एलएस/1524/एक्ट/2021/1447 दिनांक 12.11.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक एवं Food Containing extraneous matter खाद्य वस्तु पनीर का निर्माण व विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2)(ii) का उल्लघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 51 एवं 54 मे सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियुक्त के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्त सं0 1 फर्म गायत्री देवी प्रोडेक्ट्स सालोदा फर्म का प्रोपराईटर है। अभियुक्त स्वयं पनीर का उत्पादन नहीं करते है। अभियुक्तगण जगदीश शर्मा (खुन्ना डेयरी) से उपरोक्त पनीर को खरीदकर आगे विक्रय करने का काम करते है। अभियुक्तगण एफएसएस एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप ही खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करते है। अभियुक्तगण द्वारा विक्रय किया गया पीनर किसी प्रकार से सबस्टैण्डर्ड श्रेणी का नमूना नही है। अभियुक्त के विरूद्ध गलत रूप से उपरोक्त कार्यवाही अमल में लाई गई है। अभियुक्तगण से खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना दिनांक 28.10.2021 को जप्त किया गया था। जिसकी एफ0एस0एल0 जांच फूड एनेलिस्ट द्वारा दिनांक 12.11.2021 को तैयार की गई है, जो कि एक लम्बे अन्तराल के पश्चात् तैयार की गई है। ऐसे में पूर्ण सम्भावना है कि जप्तशुदा पनीर इस लम्बी अवधि के दौरान ठीक प्रकार से रख रखाव नहीं करने के कारण तथा परिशिवल सामग्री होने के कारण एफएसएस एक्ट 2006 के मानको पर विफल रहा होगा, साथ ही वकील अभियुक्त ने अभियुक्त के प्रति नरमी रूख अपनाते हुए उक्त प्रकरण कार्यवाही ड्राप करवाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न खाद्य विपलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1524/एक्ट/2021/1447 दिनांक 12.11.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक एवं **Food Containing extraneous matter** खाद्य वस्तु पनीर का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है। लेकिन यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 एवं 54 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को 10,000 (दस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिये चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.08.21 18:00:03 IST
Reason: SelfAttested

(रामकिशोर मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी